

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY PUBLISHED BY AUTHORITY

4 Aasadh, 1942 (S)

No. 299

Ranchi, Thursday, 25th June, 2020

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification No. 31/2020 - State Tax

S. O. No. 47, Dated- 25th June, 2020: In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 50 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 148 of the said Act, the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in notification of the Government of Jharkhand in the Commercial Taxes Department, S.O. No. 49 - State Tax, dated the 29 June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, the following provisos shall be inserted, namely: –

"Provided that, the rate of interest per annum shall be as specified in column (3) of the Table given below, for the class of registered persons, mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who are required to furnish the returns in **FORM GSTR-3B**, but fail to furnish the said return along with payment of tax for the months mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table by the due date, but furnish the said return according to the condition mentioned in the corresponding entry in column (5) of the said Table, namely:--

Table

S.	Class of registered persons	Rate of interest	Tax period	Condition
No.	(2)			
(1)		(3)	(4)	(5)
1.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	Nil for first 15 days from the due date, and 9 per cent thereafter	February, 2020, March 2020, April, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 24 th day of June, 2020
2	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 1.5 crores and up to rupees five crores inthe preceding financial year	Nil	February, 2020, March, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 29 th day of June, 2020
	year		April, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the30 th day of June, 2020
3.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 1.5 crores in the preceding financial year	Nil	February, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the30 th day of June, 2020
			March, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the3 rd day of July, 2020
			April, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the6 th day of July, 2020.".

2. This notification shall be deemed to be effective from the 20th day of March, 2020.

[File.No Va Kar / GST /01/2020] By the order of the Governor of Jharkhand,

Vandana Dadel,

Secretary, Commercial Taxes Department

Note: - The principal notification S.O. No. 49 - State Tax, dated the 29^{th} June, 2017, was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना सं. 31/2020 -राज्य कर

एस. ओ. सं. 47, दिनांक- 25 जून, 2020 :— झारखंड सरकार, झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 50 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, झारखंड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना एस. ओ. सं. 49, दिनांक 29 जून 2017 के तहत झारखंड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् -

उक्त अधिसूचना के प्रथम अनुच्छेद में निम्नितिखित प्रन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु उन पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जो की निम्न तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किए गए हैं और जिनको प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है, लेकिन जो स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट कर अविध की उक्त विवरणी को नियत तारीख तक, देय कर के भुगतान के साथ, प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन स्तंभ (5) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लेखित शर्त के अधीन उक्त विवरणी प्रस्तुत करते हैं, देय प्रति वर्ष ब्याज की दर, स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निम्नलिखित दर हैं:-

तालिका

क्र॰सं॰	पंजीकृत व्यक्तियों का वर्ग	ब्याज की दर	कर अवधि	शर्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	करदाता जिसका पूर्ववर्ती	नियत तारीख के	फरवरी,	यदि प्ररूप जीएसटीआर-
	वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त	बाद पहले पंद्रह दिन	2020, मार्च,	3ख में विवरणी 24 जून,
	5 करोड़ रुपये से अधिक	के लिए शून्य	2020 और	2020 या उससे पहले
	हो	प्रतिशत, उसके बाद	अप्रैल, 2020	प्रस्तुत की जाती है
		9 प्रतिशत		
2	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये से अधिक हो लेकिन 5 करोड़ रुपये तक हो	शून्य	फरवरी, 2020 और मार्च, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी 29 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
	तक हा	शून्य	अप्रैल, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है

3	करदाता जिसका पूर्ववर्ती	शून्य	फरवरी, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर-
	वित्तीय वर्ष में कुल			3ख में विवरणी 30 जून,
	आवर्त 1.5 करोड़ रुपये			2020 या उससे पहले
	तक हो			प्रस्तुत की जाती है
		शून्य	मार्च, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर-
				3ख में विवरणी 3 जुलाई,
				2020 या उससे पहले
				प्रस्तुत की जाती है
		शून्य	अप्रैल, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर-
				3ख में विवरणी 6 जुलाई,
				2020 या उससे पहले
				प्रस्तुत की जाती है

2. इस अधिसूचना को 20 मार्च, 2020 से लागू माना जाएगा ।

[सं.सं.वा.कर/जी.एस.टी./01/2020] झारखंड राज्यपाल के आदेश से

> वंदना दादेल, सचिव, वाणिज्य-कर विभाग

नोट: मूल अधिसूचना एस. ओ. सं. 49, दिनांक 28 जून, 2017 के तहत झारखंड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था।
